International Journal of Research in Marketing Management and Sales

E-ISSN: 2663-3337
P-ISSN: 2663-3329
www.marketingjournal.net
IJRMMS 2023; 5(1): 69-73
Received: 12-03-2023
Accepted: 18-04-2023

मनोज कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

डॉ. देवेन्द्र चौधरी
सह–प्रध्यापक, बी. आर. बी. कॉलेज, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मनोज कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

बिहार में कृषि, कृषि विपणन तथा भंडारण की वर्त्तमान दशा

मनोज कुमार, डॉ. देवेन्द्र चौधरी

DOI: https://doi.org/10.33545/26633329.2023.v5.i1a.136

सारांश
बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महती योगदान रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कृषि के उन्नति और भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया है परन्तु आज भी राज्य में कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है और किसानों की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सका है। पिछले अध्याय में हमने कृषि विपणन व्यवस्था, शोध कार्य का उद्देश्य, शोध का महत्व, कार्य योजना पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत अध्याय में बिहार में कृषि की स्थिति, कृषि विपणन एवं भंडारण की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। बिहार में कृषकों को काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे पैक्स को उत्पाद बेचना हो अथवा खरीददारों को, कृषकों को कई चरणों में भूगतान में कटौती और अतिरिक्त शुल्क की कटौती का सामना करना पड़ता है। इसके अतरिक्त उत्पाद के उचित भंडारण के कमी होने के परिणाम स्वरूप, राज्य के किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का इतिहास लम्बा रहा है। आजादी के बाद समृद्धि की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न राज्यों की श्रृंखला में बिहार का स्थान पांचवां था, लेकिन पिछले दशक में राज्य सबसे नीचे चला गया और विभाजन के बाद भी उसी जगह पर कायम है।

कूटशब्द : किसान, बिहार, अर्थव्यवस्था, भण्डार गृह, श्रेणी करण

प्रस्तावना
राज्य में जोत भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। आज बिहार में मात्र 42% जोत भूमि उपलब्ध है। विभाजन के पूर्व देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 5 % बिहार के पास था, जबकि आबादी का 10 %। आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 5.434 रूपये रहा है। कृषि उत्पाद बढ़ाने के हेतु राज्य में जल–विधुत का उत्पादन बढ़ाना होगा साथ ही मखाना और मत्सत्य पालन जैसे धंधे को विकास करना होगा। बिहार में राजस्व स्रोत सीमित हैं, लेकिन जब साधन सीमित हों तो आवश्यकता मात्र उनके उपयोग की नहीं अपितु सदुपयोग की होती है तथा इसके लिये आवश्यक है, ढृढ़ इच्छाशक्ति कृतसंकल्प प्रशासनिक तंत्र, विकास व्यूह–रचना और दिशा–निर्देशन, केन्द्र–राज्य सहयोग, जनता की जागरूकता और सहभागिता, विकास की मानसिकता, कठोर परिश्रम, सामाजिक समरसता। कृषि विपणन को सशक्त करने हेतु राज्य में समुचित जल–प्रबंधन नीति पर बल देना होगा जिससे बाढ़ पर नियंत्रण हो सकेगा और सिंचाई के स्रोत भी विकसित हो सके।

बिहार में कृषि
बिहार के अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान महती रहा है। कृषि का मुख्य उद्देश्य राज्य के बड़े आबादी हेतु योजना का उत्पादन करना है साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करना भी है। ऐसे कई महत्वपूर्ण कारक जो राज्य में कृषि विकास को प्रभावित करता है।

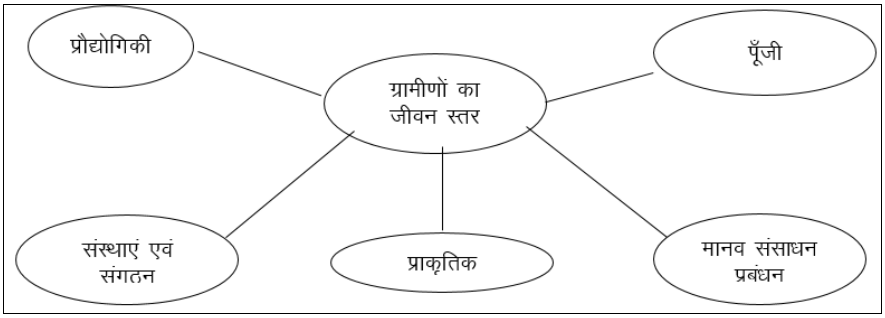

कृषि विकास निर्धारक तत्व

शीत भंडारण, विपणन, बिक्री केंद्र आदि सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए कृषि में सार्वजनिक निवेश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में कृषि विपणन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कृषि विपणन में परिवहन भंडारण प्रसंस्करण, यातायात एवं ग्रेडिंग जैसे गतिविधियाँ शामिल हैं, ये गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था में बहुत अहम् भूमिका निभाती हैं। राज्य में, कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम अनेको राज्यों को किसानों द्वारा काटी गई फसल को पहली बिक्री को लिए मंडियों में स्थान दिलाने की सुविधा देता है। बिहार में कृषि की वर्त्तमान स्थिति निम्न हैं –

1. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 26–28 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है।
2. बिहार के आबादी की लगभग 65 से 70% हिस्सा वानिकी और मत्स्य पालन एवं कृषि क्षेत्रों में शामिल है। राज्य में कृषि कार्यबल की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
3. बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है।
4. बिहार राज्य देश में आलू, प्याज आदि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था

बिहार में वर्ष 2022 एक हेक्टेयर में 29.89 क्विंटल गेहूं और 38. 02 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मोटे अनाज का उत्पादन 669.292 हजार हेक्टेयर में 3501. 7 लाख टन है। पैदावार एक हेक्टेयर में 50.98 क्विंटल है मूंग खेसारी, मंसूर आदि दलहनी फसल 429.426 हजार हेक्टेयर में 378.493 हजार टन हुई है, एक हेक्टेयर में पैदावार 903 किलोग्राम है। मूंगफली, सरसों सूरजमुखी तथा आयल सीड्स में आने वाली फसलों की पैदावार 105.826 हजार हेक्टेयर में 122161 है, यह फसलें एक हेक्टेयर में 10.48 क्विंटल पैदा हो रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब पांच लाख टन ज्यादा खाद्यान्न पैदा हुआ है, आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019–20 में उत्पादन 163.74 लाख टन हुआ था जो 2020–21 में बढ़ कर 179.64 लाख टन था। इस बार 183.94 लाख टन पैदावार 5997. 621 हजार हेक्टेयर में हुई है। उत्पादकता दर 29.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फसलों के इस रिकॉर्ड उत्पादन के हेतु विशेषज्ञ सरकार की किसान नीतियों, किसानों की अथक मेहनत और वैज्ञानिकों की लगन को श्रेय जाता है। सबसे बड़ा श्रेय मौसम, बाढ़ तथा सुखाड़ की स्थिति भयावह न होना है, जिसके पांच साल का रिकॉर्ड टूटा सका है। पैक्स में केवल बिचौलियों को ही बेचने का अवसर मिलता है। वे छोटे किसानों से झूठ बोलते हैं कि खरीद की अवधि पूरी हो गई है और उन्हें कहते हैं कि भुगतान में देरी होगी। फलतः छोटे किसान अपनी उपज निजी व्यापारियों को बहुत कम दर पर बेचते हैं। दलाल और बिचौलिए किसानों से 1400 रूपये प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदते हैं और फिर इसे पैक्स को एम.एस.पी पर बेचते है। इसलिए, यह दलाल और बिचौलिए हैं जो पैक्स से लाभान्वित हो रहे हैं, न कि कृषक। पैक्स में अपनी उत्पादों को बेचने के लिए, कृषकों को भूमि और पहचान दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।

कृषि विपणन की वर्त्तमान दशा

विपणन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, फसलोत्तर हानि में कमी, कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन तकनीकी का समावेश स्थानीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजार में राज्य की पहचान बनाने, रोजगार का सर्जन एवं कृषि प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करना हैं। परन्तु आज भी बिहार में कृषि विपणन सुव्यवस्थित नहीं है। राज्य में कृषि बिक्री के मार्ग में अनेकों कठिनाईयाँ हैं। जो राज्य के अर्थ व्यवस्था हेतु ठीक नहीं है। वर्त्तमान समय में वस्तु का उत्पादन मात्र उपभोग के लिए ही नहीं अपितु बिक्रय के लिए भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किए जाने से विपणन का क्षेत्र काफी व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में आर्थिक व्यवस्था का एक पक्ष उत्पादन है तो दूसरा विपणन है। बिहार अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन का भी उतना ही महत्व है जितना कृषि उपज के उत्पादन का वह क्यों इस लिए कि राज्य में कृषि का स्वरूप आर्थिक विकास के साथ–साथ बदलता जा रहा है। फलतः इस समय में समस्या वस्तुओं के उत्पादन की न होकर बल्कि उसके विपणन की है। राज्य में कृषि विपणन महत्वपूर्ण है वह इसलिए की श्रम शक्ति का 65% भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है तथा सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का क्षेत्र का हिस्सा 30% के लगभग है। आज बाजार एवं बाजार संबंधी क्रिया दोनों ही आर्थिक ढाँचे की महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। कृषि का व्यावसायीकरण हो जाने से कृषि विपणन की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह कहना अनावश्यक नहीं होगा कि राज्य में कृषि विपणन का विकास कृषि के आधुनिकीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अविकसित ग्रामीण बाजार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास संभव नहीं है और कृषकों के स्थिति में भी प्रर्याप्त सुधार नहीं लाया जा सकता है। कृषि विपणन शब्द का अर्थ उन सम्पूर्ण कृषि विपणन कार्यों तथा सेवाओं से है जिनके द्वारा कृषि वस्तुयें उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। उत्पादन का उद्देश्य उपभोग है, फलतः यह विपणन का एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एकत्रीकरण, परिवहन, भंडारण, श्रेणीकरण, वित्त व्यवस्था, विज्ञापन प्रचार क्रय तथा विक्रय आदि विभिन्न कार्य आते हैं। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कृषि विपणन का तात्पर्य कृषि सम्बन्धी व्यावसायिक कार्यो के निष्पादन से है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों और सेवाओं का संचालन को नियन्त्रित करती हैं। राज्य में गरीबों के स्थिति में पूर्व से प्रयास होते रहें हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नीति निर्माताओं को गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यो को आरम्भ करना पड़ा था। इस क्रम में भूमि सुधार और राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था हेतु गतिशील बल बनाने की बात की गई थी। लेकिन दोनों प्रयास विफल रहे और राज्य के पास अपनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और उसे सहायता की आवश्यकता थी। देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने लिए 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति पर बल दिया।

कृषि विपणन के मुद्दे–जहाँ कृषक उपज बेच सकते हैं।

- स्थानीय बाजार (हाट) ग्राम समूह।
- एपीएमसी थोक मंड निजी व्यापारियों।
- सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य।
- लेकिन बिक्री के तीनों विकल्पों में कई मुद्दे हैं।
- 23 फसलों के लिए घोषित हुआ परन्तु मात्र 3 फसलों के लिए दिया गया।
- एमएसपी केवल ''उचित औसत गुणवत्ता'' पूरा करने वाली उत्पादों पर दिया जाता है।
- सम्पूर्ण राज्य में सरकारी खरीद की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- इसके अलावा, कृषि आय में वृद्धि हेतु उच्च उपज वाली वस्तुओं जैसे डेयरी उत्पाद, तथा सब्जियों के उत्पादन पर बल देना चाहिए परन्तु बिहार में कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की कमी के कारण कृषक अपनी उपज को सुरक्षित संग्रहीत करने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें फसल के कटाई के तुरंत बाद इसे साधारण कीमत पर बेचने के लिए वाध्य होना पड़ता है। फलतः फसल कटाई के मौसम में कीमत में

अचानक गिरावट आ जाती है और कृषकों को सही भाव नही मिल पाता है। बिहार के कृषि विभाग के अनुसार राज्य में गेहूं, चावल और मक्का के बाद आलू प्रमुख फसल है। आलू की खेती और उत्पादन में बिहार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सहकारी विपणन की आवश्यकता

- यह बेहतर परिणाम देता है क्योंकि हर कोई सहयोग करता है और अपने विचारों और उत्पादों का योगदान देता है। इसके अलावा, बल्क ऑर्डर देने की क्षमता लागत को काफी कम कर सकता है।
- कृषि उत्पाद विज्ञापन और विपणन नेटवर्क की उपलब्धता सहयोगात्मक रूप से की जा सकती है, जिसके कारण बाजार पर अधिक पकड़ हो सकती है।
- विशिष्ट विज्ञापन में प्रत्यक्ष मेल, ऑनलाइन मार्केटिंग या प्रिंट मीडिया भी शामिल हो सकते हैं। फलतः शामिल सभी के लिए उत्पादों की लागत काफी कम हो सकती है।
- उत्पादक के पास अधिक सौदेबाजी की शक्ति भी है और वे सही कीमत पर बातचीत कर सकते हैं।
- कदाचार को कम किया जा सकता है। तो (अत्यधिक मनमानी कटौती से लेकर अनुचित और अवैध मूल्य हेरफेर तक)
- वनज और माप में नियमित रूप से हेरफेर किया जाता है, जिसे काफी कम किया सकता है।
- बिचौलियों की एक वास्तविक सेना ग्रामीण उपज एकत्र करने, भंडारण करने, बीमा और वित्त पोषण करने के लिए तैयार किया जा सकता है।
- सुव्यवस्थित सहकारी विपणन, रणनीति मूल्य प्रसार को कम करती है।

राज्य में भंडारण की स्थिति

बिहार में कृषकों की मेहनत तथा जैविक व खेती को बढ़ावा देने से कृषि पैदावार में काफी वृद्धि हो रही है। बिहार सरकार भी इस विकास को लेकर पूर्णरूप से उत्साहित है पर इन पैदावारों के भंडारण की समस्या से कृषक काफी चिंतित होता दिखता है। वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा कृषि विकास योजना तथा हरित क्रांति उपयोजना के अंतर्गत फसल भंडारण करने हेतु गोदाम निर्माण योजना आरम्भ की गई। बिहार में खाद्य आपूर्ति निगम के पास बिहार के कुल उत्पादन को रखने के लिए पर्याप्त संख्या में गोदाम नहीं है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण करने के लिए राज्य के कृषकों को गोदाम निर्माण के लिए बिहार सरकार अनुदान देगी। जो किसान निजी तौर पर 200 टन क्षमता के गोदाम निर्माण कराना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा 9 लाख रूपए तक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगे। जिसके फलस्वरूप किसान गोदाम निर्माण करने के बाद अनाजों को व्यवस्थित रूप में गोदाम में रख सकते हैं। बिहार में आज भी गोदामों की संख्या में काफी कमी है। सरकार के इस योजना से किसानों की भंडारण की समस्या में काफी कमी आ सकता है और प्रर्याप्त मात्रा में अन्न के भंडारण को सम्भव किया जा सकेगा। पिछले वर्षो में शीत भंडार श्रृंखला का बाजार लगातार बढ़ा है और यह स्थिति वर्ष 2024 तक जारी रहने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के धीमे विकास के लिए कई पक्षों को रेखांकित किया गया है जिनमें से एक अधिक परिचालन लागत है। पर्याप्त आधारभूत ढांचे की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, पुरानी प्रौद्योगिकी एवं बिजली की आपूर्ति जैसे पहलू राज्य में शीत श्रृंखला के आधारभूत ढांचा के विकास में बाधक हैं। राज्य में अनाजों का उत्पादन प्रयाप्त होता है। बावजूद इसके, कृषकों को सही दाम भी नहीं मिलता और लाखों लोग भूखे सोने को मजबूर होते हैं। इसकी वजह कहीं न कहीं भंडारण के लिए उचित व्यवस्था का न होना है। बारिश में भीगने की वजह से लाखों टन आनाज बर्बाद हो गए परन्तु इसके सरकार इस पर कुछ बोलने से कतराती है। सरकार ज्यादा उत्पादन के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि अन्न को सुरक्षित रखा कैसे जाएगा। सरकार इस मुद्दें पर कुछ कार्य करती तो अच्छा था। खाद्यान्न बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों में जागरूकता पैदा करने और सस्ते दामों पर भंडारण के लिए टंकियाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज भी लाखों टन अन्न प्रति वर्ष नष्ट हो रहें हैं।

1. ऐसी जगह पर गोदाम निर्माण कराया जाये जहाँ प्रत्येक मौसमों में वाहन के अवागमन की सुविधा उपलब्ध
2. भंडारण व्यवस्था हेतु कृषकों के पासअपनी भूमि हो जिस पर किसान का स्वामित्व हो एवं उसकी जमाबंदी कृषक के नाम से हो।
3. योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण का लाभ एक कृषक को एक बार ही देया होगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जायेगा। पूर्व में यदि किसी किसान अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना अथवा किसी अन्य योजना से गोदाम निर्माण का लाभ दिया गया है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है।

राज्य में भंडारण की वर्त्तमान स्थिति

फसल कटने के बाद कृषक के लिए आवश्यक होता है कि उत्पाद को कुछ समय के लिये सुरक्षित रखा जाय। इसे ही खाद्य भण्डारण कहते हैं। भंडारण प्रभाग खाद्य स्टॉक के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता को निश्चित करने से संबंधित पहलुओं की निगरानी करता है। यह नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों केन्द्रीय भंडारण निगम के द्वारा अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि एवं अधिसूचित उत्पादों के लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। जो विनियामक प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक प्रभाग भी है।

बिहार राज्य में खेती प्रमुख व्यवसाय है। पर्याप्त भंडारण सुविधा के अभाव में खेत तथा उत्पादित फसलों का बहुत नुकसान होता है। राज्य में हर वर्ष कटाई के बाद करोड़ो रूए की फलों और सब्जियों का नुकसान होता है। स्पष्ट है कि भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में राज्य में लाखों रूपए के फल व सब्जियां हर साल बर्बाद हो जाते हैं। राज्य में सालाना करोड़ों रूपए की फल व सब्जियों की बर्बादी होती है। इसकी मुख्य वजह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव आधुनिक भंडारण सुविधाओं की कमी तथा इन मामले से निपटने के संवेदनहीन रवैया है। स्पष्ट है कि इस तरह की बर्बादी को रोकने के लिए थोक के साथ स्थानीय तथा क्षेत्रीय बाजारों में शीत भंडारण सुविधाओं का विकास करना जरूरी है। स्पष्ट है कि 2023 तक राज्य में फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़कर 9.7 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा, जो 2022 तक 6.3 करोड़ टन रहा है। राज्य के वैज्ञानिकों का कहना है कि खाद्यान्न के उत्पादन में हमे कई प्रकार की बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। उत्पादन के समय उत्पादों को कीटों से बचाने के लिए सही मात्रा में दवाओं का छिड़काव, फसल की सिंचाई के समय उचित तापमान का होना, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से बचाव शुष्क मौसम में फसलों को नुकसान से बचाना आदि अनेक सावधानियां बरती जाती हैं। कृषि सलाहकार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा में गुणवत्ता तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसका राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। खाद्य सुरक्षा पर विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, और प्रमाणीकरण आदि क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिए बिहार में व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता है। उचित भंडारण व्यवस्था की कमी में बिहार में खाद्यान्न के नुकसान को बढ़ावा

दिया है। राज्य में कभी खेतों से मंडी के रास्ते तो कभी मंडियों में वह बरबाद ये जाता है। अनाज और अन्य खाद्य सामग्री को संभाल कर रखने के लिए राज्य में मूलभूत ढांचा नहीं है। सही भंडारण के अभाव में प्याज, सब्जियों और दालों की बर्बादी ज्यादा हो रही है। 2020 सर्वे के अनुसार 2 लाख टन प्याज और 1.5 लाख टन टमाटर प्रति वर्ष खेत से बाजार पहुंचते–पहुंचते रास्ते में बर्बाद हो जाते हैं। अगर यही खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंच जाए तो देश में निश्चित तौर पर भुखमरी कम होगी और किसानों को पूर्ण मुनाफा हो सकेगा। बिहार में फल–सब्जियों के भंडारण के लिए जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग उतने ही और चाहिए। राज्य में वर्त्तमान समय में 1230 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 63 करोड़ टन है। कोल्ड स्टोरेज की स्थिति पर गौर करने पर सामने आया कि राज्य में लगभग 1.5 करोड़ टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, ताकि बड़ी संख्या में फल, अनाज के साथ खाद्यान्नों का संग्रहण तथा भंडारण किया जा सके। बिहार में सरकार के अथक प्रयास के बाद भी भंडारण की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। स्पष्ट है कि राज्य में करीब 106 प्रखंड ऐसे है, जहां एक भी गोदाम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विकास योजना के तहत निजी स्तर पर गोदाम बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गोदाम निर्माण के लिए जिला कृषि अधिकारियों को आवेदन दिया जा सकता है। जहां गोदाम नहीं है, वहां अनाज के भंडारण के लिए भाड़े के मकानों का उपयोग किया जा रहा है, यह नाकाफी साबित हो रहा है। राज्य में भंडारण हेतु सरकारी मकान का अभाव है। राज्य सरकार के अनुसार एसएफसी के कई प्रखंडों में गोदाम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बिहार में अनाज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य के सभी प्रखंडों में 500मी0 टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण का कार्य इसी साल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 16 बाजार समितियों में भी पांच हजार टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में भंडारण में व्याप्त व्यापक खामियों के चलते हजारों टन अनाज सड़ जाने की खबरों के मद्देनजर कुछ साल पहले उच्च न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि अगर भंडारण का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं इन अनाजों को गरीबों में मुफ्त बांट दिया जाता है। आंकड़ों के अनुसार, सही रखरखाव के अभाव में बिहार में पिछले वर्ष के दौरान 2 हजार 400 टन अनाज सड़ गया। बिहार में अनाज भंडारण को लेकर सरकार कितनी लापरवाह है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश के सरकारी गोदामों में रखा 104 लाख टन अनाज सड़ गया, जिसकी अनुमानित कीमत दो हजार करोड़ रूपए थी इसमें 9 लाख टन गेहूं व 70 लाख टन चावल शामिल थे। राज्य में अनाज के आधुनिक भण्डारण के लिए 15 लाख टन के स्टील साइलो बनाने की योजना पर खाद्य निगम और राज्यों में युद्धस्तर पर काम चल रहा है। यदि राज्य में भंडारण की उचित व्यवस्था हो तो कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकता है। बीते वर्ष कृषकों ने बंपर प्याज का उत्पादन किया था। राज्य में इस कदर प्याज का उत्पादन हुआ कि किसान उसे मुफ्त में बांटने को मजबूर हो गए। बिहार में प्याज के भारी उत्पादन के बावजूद किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। उनके लिए प्याज की खेती काफी घाटे का सौदा रहा। उसका मुख्य कारण भंडारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं होना था, यदि भंडारण की उचित व्यवस्था होती तो कृषक प्याजों का भंडारण कर सकते थे। और अधिक मुनाफा कमा सकते थे। बिहार में फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है परन्तु उपज को रखने के लिए अभी भी देश में पर्याप्त गोदाम अभी उपलब्ध नहीं है। इसको देखते हुए सरकार किसानों को उपज के सुरक्षित भंडारण करने के लिए गोदाम के निर्माण पर अनुदान दे रही है। जिससे कृषक अपनी फसलों को गाँव में ही सुरक्षित भंडारित कर सकें। सही भंडारण के आभाव में अनाज की क्षति होती है। बिहार सरकार द्वारा किसानों से सब्सिडी पर गोदाम निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। बिहार राज्य के इच्छुक किसान का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर उत्पादों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए कृषि विकास योजना एवं इसकी उप–योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत विपणन सहायता के लिए भण्डारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसकी क्षमता 200 मीट्रिक टन होगी। वैसे तो बिहार सरकार भंडारण की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए तमाम दावे कर रही है। लेकिन राज्य में कोल्ड स्टोरेज में जगह ही नहीं होती है। दूरी भी इतनी है कि वहां तक जाने में ही बहुत खर्च आ जाता है। पिछले साल गेहूं मंडी में रखा था। बारिश हुई तो आधे से ज्यादा गेहूं भीग गया। कुछ तो सुखा लिया, बाकि बर्बाद हो गया। अगर देश में भण्डारण की व्यवस्था ठीक हो जाए तो किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनका जीवन स्तर भी बढेगा। सरकार जल्द खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण लिए तेजी से काम कर रही है। देश विश्व में सबसे अधिक शीत भंडारण क्षमता स्थापित करने वाला राष्ट्र हो जायेगा। सरकार यथाशिध्र खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण लिए तेज गति से काम कर रही है। देश विश्व में सबसे अधिक शीत भंडारण क्षमता स्थापित करने वाला राष्ट्र हो सकती है। देश की शीत भंडारण क्षमता तीन करोड़ बीस लाख टन है। बीते वर्षो में दस लाख टन क्षमता से अधिक भंडारण की लगभग ढाई सौ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक अध्ययन के अनुसार ब्रिटेन के कुल कृषि उत्पादन के बराबर भारत में अनाज बर्बाद हो रहा है। लगभग 90 हजार करोड़ रूपए का खाद्य पदार्थ हर वर्ष बर्बाद हो जाता है। खाद्य पदार्थो की जो बर्बादी हमारे देश में हो जाती है उससे पूरे बिहार की आबादी को एक वर्ष खिलाया जा सकता है। भारत सरकार के अनुसार उचित भंडारण की कमी ने भी देश में खाद्यान्न की बर्बादी को बढ़ाया है। भारत में 35% अनाज आज भी खेतों से घरों तक पहुँच नहीं पाता है। राज्य में किसानों की मेहनत तथा जैविक व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार भी इस वृद्धि को लेकर काफी उत्साहित है। परंतु इन उत्पादों के भंडारण की समस्या से सरकार भी चिंतित है। सरकार की चिंता इस बात से साफ दिखती है कि उसने गोदामों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में भी बढ़ावा देना शुरू किया है। राज्य में आलू के किसान अचानक तापमान बढ़ने और बेमौसम बारिश के डर से भयभीत है, उनकी उपज खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है आने वाले दिनों में कहीं बेमौसम बारिश हुई या पारा चढ़ा तो आलू नष्ट हो जाएगा। राज्य के किसान लाचार और असहाय हैं क्योंकि अभी राज्य सरकार आलू–भंडारण की सुविधाएं नहीं मुहैया करा सकी है। कटिहार में केवल 8 कोल्ड स्टोरेज चालू हालत में हैं, जिनकी क्षमता 9 लाख बोरी आलू की भंडारण करने की है, राज्य में आलू को स्टोर करने के लिए आवश्यक क्षमता की काफी कमी है। हाल के वर्षो में जिले में तीन सरकारी कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी बढ़ते उत्पादन के अनुपात में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अनाज भंडारण की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकी है। भंडारण के उचित अभाव में अनाजों को आसमान के नीचे पड़े होने की स्थिति बन जाती है। बिहार पिछले वर्ष धान और आलू के पैदावार में विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। परन्तु भंडारण के अभाव में उत्पादों को पूर्ण सुरक्षित नहीं रख रहा है, जो काफी निराशा जनक है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अच्छे भंडारण सुविधाओं की पूर्ण कमी है। ऐसे में कृषकों पर जल्द से

जल्द कृषि उत्पादों का सौदा करने का दबाव होता है और कई बार किसान औने–पौने दामों में फसल का सौदा कर लेते हैं। भंडारण सुविधाओं को लेकर न्यायालय ने भी कई बार राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है लेकिन जमीनी हालात अब तक बहुत नहीं बदले हैं। और राज्य भंडारण की सुविधा की कमी को झेल रहा है।

राज्य भण्डारण निगम

राष्ट्रीय भंडारण निगम के राज्यों 19 सहयोगी भंडारण निगम हैं। 31.03.2022 की स्थिति अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम का कुल निवेश, जो राज्य भंडारण निगमों की ईक्विटी पूंजी में 50 प्रतिशत का हिस्सेदार है, 64.82 करोड़ रूपये का रहा है। 01.10.2022 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य भंडारण निगम कुल 387.53 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ 2426 भंडार गृहों को संचालित कर रहे थे। भाण्डागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, भण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत 28.10.16 को गठित किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश में समुचित भण्डागार प्रणाली को कार्यान्वित करना, प्रत्यायन एजेसिंयों को पंजीकृत करना, पर्याप्त सुविधाओं और रक्षापायों वाले भण्डागारों जो मानदण्डों को पूरा करते हैं तथा पंजीकरण करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी को बढ़ाने एवं सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए जर्माकर्ताओं और बैंकों के विश्वास में सुधार लाया जा सके। भाण्डागार प्राधिकरण ने एक विशेष परिवर्तन योजना आरंभ की है जिसमें कार्यो हेतु डिजिटल प्रणालियों को लागू की व्यवस्था की गई। राज्य में भंडारण के आभाव में प्रति वर्ष करोड़ों की फसले, फल और सब्जियों का नुकसान होता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अच्छे भंडारण की सुविधाओं की कमी है। ऐसे कृषकों पर अतिशिध्र अपना फसल का सौदा करने का दबाव होता है और कई बार किसान औने–पौने दामों में अपने उत्पादों का सौदा कर लेते हैं। भंडारण सुविधाओं को लेकर न्यायालय ने भी कई बार केंन्द्र और राज्य की सरकारों को डॉट भी लगाई है लेकिन जमीनी स्थिति और भंडारण के अभाव में कृषकों की जीवन पद्धति में विशेष बदलाव नहीं आया है।

निष्कर्ष

राज्य सरकार ने बिहार में कृषि गोदामों के कमी को दूर करने के लिए बिहार राज्य गोदाम योजना 2022 प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार कृषकों को अनाज भंडारण करने के लिए गोदाम बनाने में 5 से 9 लाख रूपए तक का अनुदान देने की बात कही है। इस योजना को प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा उत्पादित अनाज को सुरक्षित भंडारण करना है। बिहार में कृषि उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है परंतु उत्पादों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए गोदामों में काफी कमी है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान का लाभ बिहार राज्य के 35 से 45 प्रतिशत कृषकों को मिल सकेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के हेतु भंडारण सुविधा बढ़ाना है, जिससे उत्पाद सुरक्षित रह सके। राज्य में 2022 में बहुत कम बारिश हुई है जिससे बिहार में बारिश कम होने से सूखे के हालात पैदा हो गए थे। फलतः कृषक इस वर्ष खेतों में धान की बुआई नहीं कर पा सके हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार के 32 जिले हैं, जहां आवश्यकता से काफी कम बारिश हुई है। बिहार कृषि इनपुट अनुदान उन जिलों के नामों को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा यह संभव हो सकता है कि राज्य कृषि इनपुट अनुदान 2022–23 के तहत कृषकों को लाभ दिया जाए। यदि किसी जिले का नाम इस सूची में है तो इस योजना का लाभ मिलेगा।

संदर्भ

1. चौधरी, (1999), द इण्डियन इकोनॉमी, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली। पृ0 सं.– 116 – 28
2. कुमार (2001), भारतीय कृषि विपणनः एक अध्ययन एस. चाँद एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ट संख्या 317–21
3. प्रसाद (2016), नव बिहार एक भविष्य निरूपण, पटेल फांउडेशन, पटना, पृ0 संख्या 114–18
4. मैमोरिया एवं दशोरा (1994), मानव संसाधन प्रबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ0 सं. 213–216
5. राय, (1994) भारतीय कृषि विपणन नियमित बाजार के संदर्भ में, मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ0 सं. 97–109
6. www.agribusiness.com
7. दत्त एवं सुन्दरम (2006) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली पृ0 सं. 312–326
8. शर्मा (2015) भारतीय अर्थवयवस्था, संस्कार प्रकाशन मृम्बई पृ0. 144–162
9. पीटर, (2010) मार्केटिंग रिसर्चः एनालीसिस एण्ड मैंनेजमेंट, मेग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क पृष्ठ संख्या 279–81
10. जैन सी. (2015), विपणन शोध प्रबंध, रमेष बुक डिपो, नई दिल्ली पृ0 सं. 163–178
11. www.bihagri.gov.in